संख्या:595/2023/1293/35-4-2023/001-35-4099/435/2021

प्रेषक,

डॉ0संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक:30 मार्च,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद- प्रयागराज में शासनादेश सं0-495/2021/2404/35-4-2021, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 07 कार्यों की रू0 295.09 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 105.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, प्रयागराज के पत्र सं0-1243/त्व0आ0वि0योजना/2022-23, दिनांक 09 फरवरी, 2023 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 07 कार्यों हेतु प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 105.00 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू. 190.09 लाख (रूपये एक करोड नब्बे लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	वार्ड-24 में शिशिर चतुर्वेदी के मकान से राम सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	26.33	15.00	11.33
2.	राजरूपपुर में श्री जय शंकर मिश्रा के घर से सतीश मिश्रा के घर तक लेपन एवं नाली निर्माण कार्य	19.70	15.00	04.70
3.	अल्का विहार कालोनी में अनिल कुमार शर्मा के घर से अमित निगम के आवास तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	50.67	15.00	35.67
4.	कन्धईपुर मे पृथ्वी पाल चौराहे से कबीर आश्रम तक लेपन एवं नाली निर्माण कार्य।	96.96	15.00	81.96
5.	प्रीतम नगर मे मान सिंह के घर से लवकुश गार्डेन तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	18.00	15.00	03.00
6.	भोला का पूरा पुरानी तेजाब फैक्ट्री के प्रांगण मे के0सी0 कान्वेन्टी के पास इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.15	15.00	02.15
7.	पीएसी गेट प्रयागराज के सामने से उपेन्द्र सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	66.28	15.00	51.28
	योग	**295.09**	**105.00**	**190.09**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2021की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,90,09000 (रूपये एक करोड नब्बे लाख नौ हजार मात्र) को त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 के बजट में लेखाशीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला एवं अन्य सड़कें-337-सड़क कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0304-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य की मद नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:595/2023/1293(1)/35-4-2023/001-35-4099/435/2021तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रयागराज।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रयागराज।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in